

(1) सिविल अपील क्रमांक: 43 / 2014

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 43 / 2014

संस्थापन दिनांक 07.01.2011

फाइलिंग नं-230303001212011

1- पुरुषोत्तम सिंह पुत्र हरचरनसिंह आयु 36 साल
जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम सोनपुरा (चिमलन
का पुरा) परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0अपीलार्थी / प्रतिवादीगण

बनाम

1. बहादुरसिंह पुत्र लालाराम आयु 36 साल
जाति कुशवाह निवासी ग्राम अनंदपुरा
परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रत्यर्थी / वादी

2. लालाराम पुत्र हरदयाल उर्फ हरदू उर्फ हड्डू
(फोट) वारिसान-

2.अ- कस्तूरीबाई पुत्री स्व0 लालाराम पत्नी कुंदनसिंह
जाति कुशवाह निवासी ग्राम चक केशवपुरा
ब्लॉक मुरार परगना व जिला ग्वालियर म0प्र0

2.ब- शीलाबाई पुत्री स्व0 लालाराम पत्नी फूलसिंह
जाति कुशवाह निवासी ग्राम चम्हेड़ी
परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

2.स- सरजूबाई पुत्री स्व0 लालाराम पत्नी जयवीर कुशवाह
निवासी ग्राम सिरसी, परगना मेहगांव थाना अमायन
जिला भिण्ड म0प्र0

2.द- कटोरी बाई बेवा पत्नी स्व0 लालाराम कुशवाह
निवासी ग्राम अनंतपुरा परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

3. कल्याण पुत्र लालाराम आयु 43 साल जाति कुशवाह
निवासी ग्राम अनंदपुरा परगना गोहद जिला भिण्ड

4. प्रबंधक- भूमि विकास शाखा गोहद जिला भिण्ड

5. म0प्र0 शासन द्वारा-

श्रीमान कलैक्टर महोदय, जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण

अपीलार्थी / प्रतिवादी द्वारा श्री जी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्र.-1 द्वारा श्री भगवती राजौरिया अधिवक्ता

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्र0-03 द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्र0-4 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्र0-5 एवं प्रत्यर्थी क्र0-2 के शेष वारिस कटोरीबाई, शीला, सूरज,
व कस्तूरीबाई पूर्व से एकपक्षीय।

न्यायालय-श्री मनीष शर्मा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद, जिला भिण्ड द्वारा

व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-152/08ए ई.दी. में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2010 से उत्पन्न सिविल अपील।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 16 दिसंबर 2015 को घोषित किया गया)

1. अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील धारा 96 सी0पी0सी0 के अंतर्गत न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद श्री मनीष शर्मा द्वारा सिविल वाद प्रकरण क्रमांक 152/08ए इ0दी0 में पारित निर्णय व आज्ञाप्ति दिनांक 13.12.2010 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/प्रत्यर्थीगण का मूल वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रत्यर्थी/वादी बहादुरसिंह एवं कल्यानसिंह आपस में सगे भाई हैं और उनके पिता स्व0 लालाराम थे जो प्रकरण में मूल प्रतिवादी थे जिनका अपील के लंबित रहने के दौरान स्वर्गवास हो जाने से वारिसान के रूप में कटोरी बाई जो कि बहादुर और कल्यान की माँ है, तथा शीलाबाई, सरजूबाई और कस्तूरीबाई जो कि उनकी बहनें हैं, वे पक्षकार हैं। यह भी निर्विवादित है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारों के लिये पैतृक संपत्ति होकर राजस्व अभिलेख में स्व0 लालाराम के नाम इन्द्राजित है और लालाराम द्वारा भूमि प्रतिवादी/अनावेदक क0-4 भूमि विकास बैंक शाखा गोहद में ऋण से ट्रैक्टर लेकर बंधक रखा है तथा यह तथ्य भी निर्विवादित है कि स्व0 लालाराम द्वारा अपने जीवनकाल में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी पुरुषोत्तम सिंह को एक हैक्टेयर भूमि विक्रय की गई थी।
3. विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि वाद पत्र के पद क्रमांक-1 में वर्णित भूमि जिनका बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक-669/2, 451, 591, 500/1, 686, 701, 801/1, 803, 810, 799, 997, 998, 800, 902, 904, 870, 871, एवं 867 थे। उक्त संपत्ति पैतृक संपत्ति है। जो कि वादी के पिता प्रतिवादी क0-1 के नाम से कर्ता खानदान की हैसियत से दर्ज है जिस पर वादी का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी क0-1 को किसी प्रकार से घरू आवश्यकता के लिये पैसों की आवश्यकता नहीं है। परन्तु वह भूमि विक्रय करना चाहते हैं जिस संबंध में गांव के कुछ व्यक्तियों से बातचीत की है और वह वादी को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। दौराने दावा सर्वे क्रमांक-1380 रकवा 0.62 एवं 1417 रकवा 0.37 को प्रतिवादी क0-1 को कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 22.08.08 से भूमि को विक्रय करने की बातचीत के दिनांक से पैदा होना बताया गया है। तथा बिना वादी की सूचना के प्रतिवादी क0-3 के यहाँ ट्रैक्टर भी बंधक रखा गया है। अतः संपूर्ण विवादित भूमि के 1/3 भाग का उसे स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किये जाने एवं विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया।
4. प्रतिवादी/अपीलार्थी क0-1 व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया गया है कि सजरा खानदान गलत बताया गया है। वादी तथा प्रतिवादी क.-1 व 2 के अतिरिक्त प्रतिवादी क0-1 की पुत्रियों कस्तूरी, शीला व सरजू भी हैं जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादी क0-1 भूमि को विक्रय करना चाहते हैं तथा खेती करने के लिये बैंक से ऋण लेकर ट्रैक्टर लिया था। भूमि बैंक में बंधक है इसलिये भूमि का विक्रय नहीं हो सकता है। वादी अपनी मर्जी से अलग रह

रहा है न ही उसने विक्रय करने की कोई चर्चा की है तथा कोई वाद कारण भी पैदा नहीं हुआ है अतः दावा सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

5. प्रतिवादी/अपीलार्थी क्र०-3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क्र०-1 विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है व वादी के हिस्से की जानकारी नहीं है। प्रतिवादी क्र०-1 द्वारा दिनांक 24.02.02 को प्रतिवादी क्र०-3 बैंक से ट्रैक्टर ट्रॉली आदि सामान कृषि उपयोग के लिये लिया था तथा 3,75,000/-रुपये का ऋण प्राप्त किया था। प्रतिवादी क्र०-1 को भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी होने का प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा किया गया था इसलिये प्रतिवादी क्र०-1 को भूमि बंधक रखने का पूर्ण अधिकार है उन्हें अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। सिविल वाद वर्जित है। तथा वादी किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अतः सव्यय निरस्त किया जावे।
6. प्रकरण में प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र०-4 पूर्व से एकपक्षीय रहा था।
7. प्रतिवादी/अपीलार्थी क्र०-5 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया गया है कि भूमि पैतृक संपत्ति नहीं है तथा लालाराम उसका एकमात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। संपत्ति लालाराम द्वारा स्वअर्जित है। वादी तथा प्रतिवादी क्र०-2 खेती नहीं करते हैं। ऋण अदा करने के लिये लालाराम को भूमि विक्रय करने की आवश्यकता हुई इसलिये उसने कई बार निवेदन किया तथा प्रतिवादी क्र०-5 से 1,96,500/-रुपये लेकर प्रतिवादी को विक्रय पत्र दिनांक 25.09.09 को किया गया है। उसके द्वारा विक्रय पत्र विधिवत कराया गया है। अतः उसने भी दावा सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।
8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद प्रश्नों की रचना करते हुये विचारण कर गुणदोषों पर दिनांक 13.12.2010 को घोषित निर्णयानुसार वादी का वाद को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाते हुये स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से पेश कर यह आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2010 अवैधानिक होकर रिकॉर्ड के विपरीत है। वादी ने अपने को हिस्सा 1/3 का स्वामी माना परन्तु बहादुरसिंह की तीन बहनें यानि मृतक लालाराम की तीन पुत्रियाँ भी इस प्रकरण में पक्षकार होना मान्य की गई लेकिन उन्होंने पक्षकार बनाने के लिये निर्देश वादी को नहीं दिया गया और उनकी वगैर सुनवाई के ही हिस्सा 1/6 का वादी को भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित कर महत्वपूर्ण भूल की है। तथा पक्षकारों के असंयोजन के कारण प्रकरण क निराकरण नहीं किया जा सकता है। यह सुस्थापित विधि है कि कोई भी रिकॉर्डेड भूमि स्वामी अपनी वैध आवश्यकता के लिये अपने स्वत्व की संपत्ति को विक्रय कर सकता है। तथा वादी को खर्चों के लिये आवश्यकता हुई एवं ट्रैक्टर व बहनों की शादी के खर्च के लिये उक्त भूमि विक्रय की है। साक्षी क्र०-2 नाथूराम बहादुरसिंह का ससुर है तथा वह विवादित जमीन वाले गांव का न होकर डोंगरपुरा परगना मेहगांव का निवासी है जिसे कोई सही जानकारी नहीं है। सरजू बाई की शादी हुई तब बहादुरसिंह और मृतक लालाराम को शामिल रहना बताया है और शादी के बाद से अलग होना कहा है तथा बहादुर व कल्याण दोनों ही ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई करते थे और फसल से ही ट्रैक्टर की किस्त जमा करते थे। जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि मृतक लालाराम को अपनी संपत्ति की कुछ भूमि बेचने की वैध आवश्यकता थी।

9. प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि प्रतिवादी साक्षी पुरुषोत्तम ने भी उक्त तथ्य अपने कथनों में बताये हैं तथा कर्जा पटाने के लिये रूपयों की आवश्यकता होना कहा है तथा साक्षी अरविन्द द्वारा पुरुषोत्तम के हक में किये गये विक्रय पत्र को प्रमाणित किया गया है। लालाराम को अपनी निजी आवश्यकता एवं स्वयं के इलाज व तीर्थयात्रा के लिये रूपयों की आवश्यकता होने से भूमि विक्रय की गई है। किन्तु फिर भी उक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा कर विधि के विपरीत निर्णय पारित किया है अतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।
10. अपील के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

1. क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक-152/02ए इ0दी0 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2010 प्रकरण में आई साक्ष्य एवं विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
2. क्या वादी/प्रत्यर्थीगण का मूल वाद अस्वीकार किए जाने योग्य है?

--- निष्कर्ष के आधार ---

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निराकरण

11. अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनरावृत्ति न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
12. अपीलार्थी पुरुषोत्तम जो कि भूमि का क्रेता है, उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में अपील ज्ञापन में लिये गये आधारों और उठाये गये बिन्दुओं की तरह ही यह व्यक्त किया है कि विवादित भूमि जो कि ग्राम डिरमन पाली तहसील गोहद में स्थित है, उसके संबंध में स्व0 लालाराम के एक पुत्र बहादुर की ओर से स्वत्व घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा के लिये मूल वाद 1/3 हिस्से की मांग करते हुए पेश किया था जिसमें पक्षकारों के असंयोजन का दोष का भी वाद प्रश्न निर्मित था जिसमें पक्षकारों के असंयोजन के दोष का भी वाद प्रश्न निर्मित था जिसमें लालाराम की तीन पुत्रियाँ पक्षकार न बनाये जाने की आपत्ति उठाई गई थी किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन होने के बावजूद प्रकरण का निराकरण करने में विधिक भूल की है। जबकि पक्षकारों के असंयोजन की दशा में निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन होने के बावजूद प्रकरण का निराकरण करने में विधिक भूल की है। जबकि पक्षकारों के असंयोजन की दशा में निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सभी वारिसान का 1/6-1/6 हिस्सा घोषित करने में विधिक त्रुटि की है। स्व0 लालाराम के द्वारा अपने स्वत्व की भूमि का अपीलार्थी का विक्रय किया है जिसे विक्रय करने का उसे वैध अधिकार था और उसे वैध आवश्यकता भी थी। स्वयं वादी ने दस बारह साल पूर्व पिता के साथ शामिल रहते हुए खर्च के लिये पैसों की आवश्यकता पिता को होना स्वीकार की है और दो तीन साल से पिता को खर्चा देना भी बंद कर देना भी

स्वीकार किया है और वादी 1/5 हिस्से पर काबिज होकर खेती कर रहा है। जो ट्रैक्टर बैंक से ऋण लेकर कृषि किया था वह भी कृषि उन्नति के लिये लिया गया था और शामिलशरीक खेती होती है तथा कल्याण ट्रैक्टर का अभी भी उपयोग करता है। अपीलार्थी पुरुषोत्तम को विक्रय की गई एक हैक्टेयर भूमि के बाद भी 27 बीघा भूमि और शेष है और लालाराम को अपनी निजी आवश्यकताओं के लिये भूमि विक्रय करना पड़ी है क्योंकि वह वृद्ध हो गया था और उसका भरणपोषण कोई नहीं करता था। यह तर्क भी किया गया है कि लालाराम राजस्व अभिलेख में इन्द्राजित भूमिस्वामी है तथा परिवार का कर्ता खानदान था और कर्ता खानदान की हैसियत से उसे वैध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विक्रय करने का अधिकार था। इसलिये अपीलार्थी को विक्रय की गई भूमि भूमि उचित व न्यायसंगत है और उसके अवलंब को निरस्त या निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता है। जबकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने 1/6 हिस्सा घोषित करते हुए विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने में विधिक त्रुटि की है। जबकि अपीलार्थी के हक में हुए विक्रय पत्र प्र0डी0-1 से वादी या अन्य पक्षकारों के कोई हित प्रभावित नहीं होते हैं। मूलतः उन्होंने विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विक्रय पत्र को वैध माने जाने के संबंध में तर्क करते हुए न्याय दृष्टांत भी पेश किये हैं जिनका आगे विश्लेषण में उपयोग किया जावेगा।

13. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र0-1 व 3 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए मूलतः यह तर्क किया है कि विवादित संपत्ति पैतृक संपत्ति है और उसमें स्व0 लालाराम के अलावा उसके वारिसान दो पुत्र व तीन पुत्रियों के साथ समान रूप से 1/6-1/6 भाग का हिस्सा बनता है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उसी अनुरूप हिस्सा घोषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी के हित में प्र0डी0-1 का किया गया विक्रय पत्र विशिष्ट सर्वे नंबर और रकवे का होने से तथा बंटवारा न होने के कारण विधि की दृष्टि में शून्य है। इसलिये अपील सारहीन होने से सव्यय निरस्त की जावे।
14. प्रत्यर्थी क्र0-2 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि स्व0 लालाराम के द्वारा दावा पूर्व भूमि बंधक रखकर ट्रैक्टर ऋण से प्राप्त किया है और पक्षकारों के विवाद से भूमि विकास बैंक शाखा गोहद का कोई सरोकार नहीं है और उसे प्रकरण में अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है इसलिये अपील निरस्त कर उसे व्यय दिलाया जावे।
15. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। मूल अभिलेख का परिशीलन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांकित 13.12.10 मुताबिक वादी/प्रत्यर्थी बहादुर का वाद आंशिक रूप से डिक्री करते हुए संपूर्ण विवादित संपत्ति में स्व0 लालाराम सहित उसके दोनों पुत्र बहादुर एवं कल्याण एवं पुत्रियाँ जो कि अपील स्तर पर प्रत्यर्थी क्र0-2 अ, ब, स के रूप में अभिलेख पर हैं उन्हें शामिल करते हुए सभी का 1/6-1/6 भाग का हिस्सा होना मूल्यांकित करते हुए वादी बहादुर के हक में 1/6 हिस्से की घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा सहित अपीलार्थी पुरुषोत्तम के हित में स्व0 लालाराम द्वारा किये गये प्र0डी0-1 के विक्रय पत्र दिनांकित 25.09.09 को शून्य घोषित करते हुए निराकरण किया है जिसे वारिसान में से किसी के द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। कर्ता पुरुषोत्तम की ओर से अपने प्र0डी0-1 के विक्रय पत्र को वैध ठहराये जाने की प्रार्थना के साथ यह विचाराधीन अपील पेश की गई है।
16. अभिलेख पर वादी बहादुर की ओर से स्वयं वादी बहादुर वा0सा0-1 और

नाथूसिंह उर्फ नाथूराम वा0सा0-2 की साक्ष्य कराते हुए प्र0पी0-1 लगायत 7 के दस्तावेज पेश किये गये थे तथा मूल प्रतिवादी लालाराम जो कि वर्तमान में स्वर्गवासी हो गया है, वह प्र0सा0-1 के रूप में तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी कल्यान सिंह प्र0सा0-2 के रूप में प्रतिवादी क्र0-1 व 2 की ओर से परीक्षित कराये गये। तथ प्रतिवादी क्र0-5 पुरुषोत्तम जो कि अपीलार्थी है, उसकी ओर से स्वयं पुरुषोत्तम प्र0सा0-3 और वयनामा के अनुप्रमाणक साक्षी अरविन्द प्र0सा0-4 के रूप में परीक्षित कराते हुए प्र0डी0-1 प्रश्नगत विक्रय पत्र को भी पेश किया है।

17. विधि में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सिविल मामलों का प्रमाण भार वादी पर होता है। तथा साक्ष्य विधान की धारा-101 के मुताबिक जो व्यक्ति जो आधार लेता है उसे वह स्थापित और प्रमाणित करने के लिये विधि द्वारा प्रतिबद्ध है। हस्तगत मामले में पुरुषोत्तम ने प्र0डी0-1 के विक्रय पत्र को वैध ठहराये जाने की मांग की है इसलिये प्र0डी0-1 वयनामा विधिक रूप से प्रभावी है या नहीं, यह प्रकरण में विशेष रूप से मूल्यांकित करने की आवश्यकता है।

18. प्रकरण में जिस भूमि का विवाद है, वह ग्राम डिरमन मौजा पाली गोहद में स्थित सर्वे क्रमांक-651, 678, 728, 755, 1380, 11417, 1517, 1523, 1524, 1525, 1576, 1578 और 1591 व 1599 कुल किता 14 कुल रकवा 6.02 है0 जिनके बंदोवस्त के पूर्व क्रमांक-669/2, 451, 591, 500/1, 686, 701, 801/1, 803, 810, 799, 997, 998, 800, 902, 904, 870, 871 और 867 थे जिन्हें दावे में पैतृक संपत्ति बताया है। इस संबंध में विवाद नहीं है कि उक्त संपूर्ण भूमि स्व0 लालाराम के नाम से राजस्व अभिलेख में इन्द्राजित रही है और बहादुर और कल्यान लालाराम के पुत्र तथा कस्तूरीबाई, शीलबाई और सरजू बाई लालाराम की पुत्रियाँ हैं। यह भी प्रकरण में निर्विवादित है कि लालाराम की मृत्यु हो चुकी है और उसकी पत्नी कटोरीबाई अभी जीवित है।

19. जहाँ तक प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पक्षकारों के असंयोजन के दोष के संबंध में विधि में आपत्ति उठाई गई है। यह सही है कि मूल विचारण में भी उक्त संबंधित अभिवचन किये गये थे जिस पर से वाद प्रश्न क्रमांक-3 निर्मित किया गया था और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे प्रमाणित भी माना गया है। विचारण के दौरान लालाराम जीवित था इसलिये विवादित संपत्ति के हिस्सों में लालाराम के अलावा उसके दोनों पुत्र और तीनों पुत्रियों को भी हिस्सेदार माना गया है जो विचारण में तो पक्षकार नहीं थी किन्तु अपील स्तर पर पक्षकार हैं। और पक्षकारों के संबंध में क्रेता को आपत्ति का अधिकार नहीं है क्योंकि क्रेता पुरुषोत्तम द्वारा जो अभिवचन किये गये, उसमें मूलतः यह कहा गया कि विवादित संपत्ति लालाराम की स्वअर्जित संपत्ति है और उसे विक्रय करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार है तथा लालाराम के द्वारा भूमि आवश्यकता अनुसार विक्रय की गई है इसलिये यह देखना होगा कि जो अपीलार्थी द्वारा आधार लिये गये हैं उनमें विधिक बल है क्योंकि मूल वाद में स्व0 लालाराम द्वारा वादी बहादुर के अभिवचनों का खण्डन करते हुए भूमि विक्रय का प्रयास किये जाने, किसी से बातचीत किये जाने की संभावना से इन्कार किया गया था। जबकि निर्विवादित रूप से प्र0डी0-1 का वयनामा वाद लंबन काल का है क्योंकि मूल वाद दिनांक 16.09.08 को पेश किया गया था और प्र0डी0-1 का वयनामा दिनांक 25.09.09 का है तथा विचारण न्यायालय से प्रकरण का निराकरण दिनांक 13.12.10 को हुआ है अर्थात् वाद लंबन काल में लालाराम द्वारा पुरुषोत्तम को भूमि विक्रय की गई है इसलिये यह देखना होगा कि लालाराम को इस प्रकार से भूमि

विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार था या नहीं था क्योंकि अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने जो तर्क किये हैं, उसमें वैध आवश्यकताओं के लिये कर्ता खानदान की हैसियत से भूमि विक्रय करना कहा है। जबकि अभिवचन उसके प्रतिकूल होकर अन्यथा है और यह सुस्थापित विधि है कि जहाँ अभिवचन और साक्ष्य विरोधाभासी हो तो वह विश्वसनीय नहीं रहती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **गणेश प्रसाद विरुद्ध श्रीनाथ 1986 भाग-2 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-193** में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है।

20. अभिलेख पर जो निर्विवादित तथ्य है उनमें विवादित भूमि पैतृक संपत्ति होना स्पष्ट होता है क्योंकि इस संबंध में तर्कों में भी उभयपक्ष की ओर से स्थिति स्पष्ट हुई है तथा विचारण के समय जो साक्ष्य पेश की गई उसमें वादी बहादुर वा0सा0-1 ने विवादित भूमि पैतृक बताते हुए उसमें अपने पिता लालाराम और भाई कल्याण के साथ समान रूप से 1/3 भाग का हिस्सेदार होने की साक्ष्य दी है तथा जो दस्तावेज पेश किये हैं उनमें प्र0पी0-1 के रूप में दावा पूर्व दिया गया धारा-80 सीपीसी का नोटिस, उसकी रजिस्ट्री की रसीद प्र0पी0-2 के अलावा प्र0पी0-3 के रूप में विवादित भूमि की री-नंबरिंग सूची पेश की गई है जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं है। प्र0पी0-4 का खसरा सन् 2009-10 का है और प्र0पी0-5 किस्तबंदी खतौनी वर्ष 2009-10 की है तथा प्र0पी0-6 के रूप में अपीलार्थी के प्रश्नगत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जिसका आगे विश्लेषण किया जावेगा। प्र0पी0-7 के रूप में खसरा पंचशाला संवत् 2036 लगायत 2040 में जो प्रविष्टियाँ हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि स्व0 लालाराम को अपने पिता हरदू से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है क्योंकि उक्त दस्तावेज का कोई खण्डन नहीं है और अभिलेख पर लालाराम प्र0सा0-1, कल्याण प्र0सा0-2 की ओर से ऐसा कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं दी गई जिससे विवादित भूमि लालाराम की स्वअर्जित संपत्ति मानी जा सके। न ही यह स्पष्ट किया गया है कि लालाराम ने कौनसी संपत्ति निजी तौर पर क्रय की और उसकी आय के क्या स्रोत रहे। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का पैतृक संपत्ति निर्धारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

21. उभयपक्ष की साक्ष्य में यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से आया है कि विवादित भूमि का स्व0 लालाराम और उसकी संतानों के मध्य कभी कोई वैध बंटवारा नहीं हुआ है। मौखिक साक्ष्य में यह जरूर कहा गया है कि अलग अलग खेती कर रहे हैं। पारिवारिक व्यवस्थापन विभाजन की भांति मान्य तो हो सकता है किन्तु उसके बारे में सुदृढ साक्ष्य न होने से यही स्थापित होता है कि वर्तमान में भी विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति है और कहीं कोई वैध बंटवारा नहीं हुआ है। तथा इस संबंध में बहादुर वा0सा0-1 की साक्ष्य में भी तथा उसके साक्षी नाथूराम वा0सा0-2 के द्वारा भी यह स्वीकारोक्ति की गई है कि लालाराम की संपत्ति पर उसके सभी पुत्र पुत्रियों का समान भाग है और सभी का बराबर हिस्सा है। नाथूराम ने छः हिस्सेदार बताये हैं।

22. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में जो संशोधन प्रतिस्थापित किया गया है, उसके मुताबिक मितक्षरा विधि से शासित संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक संपत्ति में जन्म से ही पुत्रों की तरह पुत्रियों को भी समान हक व अधिकार है और संशोधन अधिनियम के मुताबिक दिनांक 20 दिसंबर-2004 के पूर्व यदि कोई विभाजन या वसीयत हुई हो तो वह संशोधन से प्रभावी नहीं होगी। संशोधित अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव नहीं बताया गया है। प्रकरण की विवादित संपत्ति पैतृक

है। ऐसे में पुत्र पुत्रियों का समान हक व अधिकार होने से 1/6 हिस्से का ही वादी बहादुर को भूमिस्वामी आधिपत्यधारी होना निर्धारित करने में भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। वर्तमान में लालाराम के फोटो हो जाने से उसका 1/6 हिस्सा उसकी बेवा पत्नी कटोरीबाई को प्राप्त होगा।

23. जहाँ तक यह आपत्ति ली गई है कि लालाराम वृद्ध था उसका कोई भरणपोषण नहीं करता था और मजबूरी में उसने अपनी निजी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कर्ता खानदान एवं इन्द्राजित भूमिस्वामी की हैसियत से भूमि विक्रय की जैसा कि अपीलार्थी पुरुषोत्तम के द्वारा अपील में आधार लिये गये हैं तथा तर्कों में बताया गया है। चूंकि प्रकरण में विवादित जमीन बंधक रखकर ट्रैक्टर भूमि विकास बैंक से ऋण लेकर प्राप्त करने के संबंध में न तो अपील में कोई आधार लिया गया है न ही विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में वाद प्रश्न क्रमांक-4 के निष्कर्ष के विरुद्ध कोई अपील किसी पक्ष द्वारा की गई है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का वाद प्रश्न क्रमांक-4 के निष्कर्ष पर चुनौती न देने से उसके बारे में कोई भी निष्कर्ष इस अपील में दिये जाने की आवश्यकता नहीं है और मूलतः प्र०डी०-1 के वयनामा की स्थिति को ही देखा जाना है जिसके संबंध में वाद प्रश्न क्रमांक-7 निर्मित किया गया था जो सकारात्मक रूप से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के पक्ष में निर्णीत किया है जिसके संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है, उसमें यह तथ्य तो स्पष्ट रूप से आया है कि जब ट्रैक्टर खरीदा गया था तब शामिल शरीक रहते थे। विवादित भूमि अभी भी शामिलशरीक है। ट्रैक्टर का उपयोग कृषि की उन्नति के लिये होना बताया गया है।

24. जो अभिलेख पर सामग्री है उसके मुताबिक दावा करने के पूर्व ट्रैक्टर भूमि विकास बैंक में बंधक रखकर ऋण लिया गया था जिसके लिये लालाराम ने दिनांक 24.02.02 को आवेदन किया था और 3,75,000/-रुपये ऋण दिनांक 21.03.03 को प्राप्त हुआ है जो दावे के पूर्व की स्थिति है इसलिये उसके संबंध में कोई अन्यथा निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसी भी साक्ष्य नहीं आई है कि ट्रैक्टर शामिल रूप से लिया गया था या नहीं लिया गया था। लेकिन यह निश्चित है कि लालाराम इन्द्राजित भूमिस्वामी था और उसने ही ऋण लिया था और भूमि बंधक रखी थी इसलिये बंधक से मुक्ति लिये गये आधारों पर नहीं हो सकती है।

25. प्र०डी०-1 के वयनामा के संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य उभयपक्ष की ओर से पेश की गई है उसमें बहादुर वा०सा०-1 ने इस आशय की साक्ष्य दी है कि उसके पिता उससे नाराज रहते थे और उसके हिस्से की जमीन को खुरद बुर्द कर विक्रय करना चाहते थे तथा कुछ भूमि वाद लंबन काल में प्रतिवादी क०-5 को इसी कारण विक्रय कर दी है जबकि भूमि शामिलाली है और शामिलाली खेती हो रही है। प्र०पी०-6 विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि भी उसके द्वारा पेश की गई है। पैरा-12 में उसने यह अवश्य स्वीकार किया है कि उसके पिता उसके साथ करीब 10-12 साल पहले शामिल रहे हैं परन्तु खानापीना अलग होता था। पिता को खर्च के लिये वह पैसे देता था। दो तीन साल से उसने पिता को खर्च देना बंद कर दिया है और वह अपने हिस्से अनुसार 1/5 भाग पर खेती कर रहा है। खेती शामिलालत हो रही है। उक्त साक्ष्य दिनांक 21.10.10 को उसके द्वारा दी गई है। पैरा-15 में उसने इस संबंध में जानकारी का अभाव बताया है कि उसके पिता ने बहन सरजू बाई के विवाह के कर्ज को पटाने के लिये और ट्रैक्टर के ऋण को पटाने के लिये रुपयों की आवश्यकता होने से पुरुषोत्तम के हक में दो खेतों का वयनामा किया जो करीब

पांच बीघा नौ विस्वा है। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि लालाराम ने पुरुषोत्तम से 1,96,500/-रुपये प्राप्त कर वयनामा किया था। इस बात से इन्कार किया है कि लालाराम को रुपयों की आवश्यकता थी। हालांकि वह अंत में यह स्वीकार करता है कि पुरुषोत्तम के हक में विक्रय किये जाने के बावजूद भी 27 बीघा जमीन शेष है।

26. नाथूसिंह वा0सा0-2 ने भी पैरा-4 में यह कहा है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि लालाराम को बहादुर रोटी देता है या नहीं और कितनी भूमि पर कितनी खेती होती है। इस बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं है। अंत में पैरा-9 में दिनांक 21.10.10 को यह अवश्य स्वीकार किया है कि 4-5 साल से लालाराम की खेती की फसल अच्छी नहीं हो रही है लेकिन लालाराम को कर्ज पटाने के लिये पांच बीघा नौ विस्वा भूमि विक्रय करना पड़ी। इस बारे में उसे जानकारी नहीं है और विक्रय में कल्यान, बहादुर की सहमति के बारे में भी उसे जानकारी नहीं है।

27. इस संबंध में लालाराम प्र0सा0-1 ने जो साक्ष्य दी है उसके मुताबिक उसे कर्ज पटाने के लिये आवश्यकता होने पर उसने बहादुर को 1,96,500/-रुपये में साढ़े पांच बीघा भूमि विक्रय करना बताया है और यह भी कहा है कि लड़कियों के विवाह के खर्च एवं बहादुर और कल्यान द्वारा लिये गये कर्ज के रुपयों को पटाने के लिये उसको आवश्यकता थीं लेकिन उसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि लड़कियों की शादी कब हुई। उक्त साक्षी अत्यंत वृद्धावस्था में था और उसका प्रति परीक्षण उसके द्वारा ऊंचा सुनने और इशारों से भी साक्ष्य देने में समर्थ न होने के कारण स्थगित किया गया था। ऐसे में लालाराम को सक्षम साक्षी ही नहीं माना जा सकता है क्योंकि कोई व्यक्ति सक्षम साक्षी है या नहीं, यह उसके संपूर्ण अभिसाक्ष्य से ही मूल्यांकित किया जा सकता है क्योंकि लालाराम का प्रतिपरीक्षण नहीं हो पाया है और मुख्य परीक्षण आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के तहत शपथ पत्र के माध्यम से आया। इसलिये लालाराम की साक्ष्य कोई महत्व नहीं रखती है।

28. कल्यान प्र0सा0-2 ने पिता को तीर्थ यात्रा, स्वयं के इलाज, निजी आवश्यकता अन्य भूमि खरीदने के लिये रुपयों की आवश्यकता होने से पुरुषोत्तम को भूमि विक्रय करना बताया है किन्तु इस संबंध में कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया गया है कि लालाराम को इलाज में कितने रुपयों की आवश्यकता थी। कहाँ इलाज हुआ, कितना खर्च हुआ, तीर्थ यात्रा पर लालाराम को वह कहाँ ले गया, कितना खर्च हुआ, अन्य निजी आवश्यकता क्या थी, उसमें कितनी राशि व्यय हुई और कौनसी भूमि खरीदी गई। जबकि अभिलेख पर जो सामग्री उपलब्ध है, उसके मुताबिक प्र0डी0-1 के विक्रय पत्र के पश्चात लालाराम द्वारा कोई भी भूमि खरीदी नहीं गई है न ही यह स्पष्ट किया गया है कि पैतृक भूमि बेचकर अन्य भूमि किस प्रयोजन से खरीदना आवश्यक थी। उससे क्या लाभ था और यह स्वाभाविक भी नहीं है कि कोई अपनी निजी भूमि अन्य भूमि को खरीदने के लिये बिना लाभ के प्रयोजन के बचे।

29. प्र0सा0-2 ने दिनांक 10.11.10 को कथन देते समय पिता लालाराम का 6-7 दिन से अस्वस्थ होना तो कहा है लेकिन किसी प्रकार की बीमारी नहीं बताई है। निर्विवादित रूप से वर्ष 2010 में लालाराम करीब 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति था। वृद्धावस्था अपने आप में कष्टदायी होती है लेकिन कोई असाध्य रोग होने का प्रमाण अभिलेख पर नहीं है इसलिये प्र0डी0-1 जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्र0पी0-6 है उसमें जो आधार पैतृक भूमि को विक्रय करने का बताया गया है कि लालाराम को निजी आवश्यकता की पूर्ति के लिये स्वयं के इलाज के लिये, तीर्थ यात्रा करने के लिये व अन्य भूमि को खरीदने के लिये रुपयों की आवश्यकता है। उनमें से कोई भी आधार स्थापित नहीं

किया है। यदि यह मान भी लिया जावे कि लालाराम को उसके पुत्र भरणपोषण नहीं देते थे और उसे भरणपोषण के लिये निजी आवश्यकता थी तो निजी आवश्यकता इतनी नहीं मानी जा सकती है कि भूमि विक्रय की जावे जबकि निजी आवश्यकता तो एक कारण अंकित किया है अन्य गुरुत्तर कारण इलाज, तीर्थ यात्रा और अन्य भूमि क्रय करना बताया है जिसका कोई प्रमाण नहीं है तथा विक्रय पत्र में विक्रय के बताये गये कारण से भिन्न अपील में आधार लिया गया है कि लालाराम को कर्ता खानदान की हैसियत से कर्ज पटाने के लिये आवश्यकता थी। इस तरह से दोनों ही परस्पर विरोधाभासी हैं।

30. प्र0डी0-1/प्र0पी0-6 के विक्रय पत्र के संबंध में क्रेता पुरुषोत्तम प्र0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-6 में तो यह कहा है कि लालाराम को उसने कर्ज दिया था जिसकी उसके पास कोई लिखापट्टी नहीं है। कितने साल पहले कितना कर्ज दिया था यह भी उसने नहीं बताया है। लड़कियों की शादी कितने साल पहली की यह भी उसे पता नहीं है और प्र0डी0-1 में कर्ज पटाने के बाद वह लिखना कहता है जबकि प्र0डी0-1 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है बल्कि प्र0डी0-1 में तीर्थ यात्रा का उल्लेख है जिससे पुरुषोत्तम पैरा-7 में इन्कार करता है और वह प्र0डी0-1 के विक्रय पत्र की राशि लालाराम, बहादुर सभी के साथ प्राप्त करना बताई है जबकि प्र0डी0-1 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है न ही प्र0डी0-1 में लालाराम की अन्य संतानों की सहमति का उल्लेख है और अरविन्द प्र0सा0-4 जो कि प्र0डी0-1/प्र0पी0-6 का अनुप्रमाणक साक्षी है, लेकिन उसने भी पैरा-4 में यह कहा है कि उसके सामने रजिस्ट्री न तो पढकर सुनाई गई न ही उसने पढी और पुरुषोत्तम के कहने पर उसने हस्ताक्षर किये थे। क्योंकि पुरुषोत्तम ने उसे वयनामा का गवाह बनने के लिये कहा था। ऐसे में अरविन्द को वास्तविक तथ्यों की जानकारी होना परिलक्षित नहीं होता है और वह विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में नहीं आता है।

31. इस प्रकार से अभिलेख पर जो परिस्थितियाँ और प्रमाण हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित संपत्ति स्व0 लालाराम की न तो स्वअर्जित संपत्ति थी न उसके द्वारा कयशुदा थी बल्कि लालाराम को भी अपने पूर्वजोंसे प्राप्त हुई थी जो कि लालाराम और उसकी संतानों के लिये पैतृक संपत्ति की श्रेणी में आती है जिसका अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। अलग-अलग खेती भी कौन किस सर्वे नंबर की कितनी भूमि पर कर रहा है, यह भी स्पष्ट नहीं है और संयुक्त हिन्दू परिवार की अभिवक्त भूमि के संबंध में न्याय दृष्टांत **लक्ष्मीनारायण एवं अन्य विरुद्ध कैलाशनारायण एवं अन्य 1995 राजस्व निर्णय पेज-415** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि इस प्रकार की संपत्ति पर प्रत्येक सहस्वामी का भूमि के प्रत्येक अंश भाग पर अधिकार होता है और वगैर विभाजन किसी भी प्रकार का व्यादेश नहीं दिया जा सकता है।

32. न्याया दृष्टांत **कचरूमल विरुद्ध मांगीलाल 1997 भाग-1 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-143** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी सहस्वामी के विरुद्ध व्यादेश की डिक्री नहीं हो सकती है तथा **बलदेव प्रसाद विरुद्ध छूबड़प्रसाद 1997 भाग-1 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-235** में यह प्रतिपादित किया गया है कि अभिवक्त हिन्दू संपत्ति में वगैर विभाजन अनन्य कब्जे का दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिये लालाराम द्वारा पुरुषोत्तम को प्र0डी0-1 का जो वयनामा दिनांक 25.09.09 का करते हुए विशिष्ट सर्वे नंबर-1380 रकवा 0.72 है0 तथा सर्वे क्रमांक-1417 रकवा 0.37 है0 कुल रकवा 1.09 का जो विक्रय किया गया है

वह विभाजन के अभाव में विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। लालाराम को केवल यह अधिकार था कि वह अपने 1/6 भाग को विक्रय कर सकता था और फिर क्रेता सहदायिकों से विभाजन करा सकता था। किन्तु अविभाजित होने की दशा में विशिष्ट भू-भाग नहीं बेचा जा सकता था। इस दृष्टि से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र०डी०-1 के विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसलिये अपीलार्थी/प्रतिवादी पुरुषोत्तम प्र०डी०-1 के आधार पर सर्वे नंबर-1380 और 1417 की भूमि की मांग नहीं कर सकता है वह भूमि विक्रय पत्र के आधार पर विधिवत लालाराम के वारिसान से कार्यवाही कर राजस्व न्यायालय से बंटवारा बराकर लालाराम के हिस्से में से ही भूमि प्राप्त कर सकता है। जोकि वर्तमान में उसकी पत्नी बेवा कटोरीबाई के हक में है।

33. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय व डिक्री मुताबिक वादी बहादुर के हित में 1/6 भाग से उसे बेदखल करने से विरत रहने की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रचलित की है जबकि संयुक्त अभिवक्त भूमि की दशामे स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विधिधक रूप से नहीं हो सकती थी इसलिये आलोच्य निर्णय की कण्डिका-23 (ब) अवश्य पूरी तरह अपास्त किये जाने योग्य है तथा आलोच्य निर्णय की कण्डिका-23(स) में संशोधन की आवश्यकता है जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पूरी तरह से लालाराम से पुरुषोत्तम के हक में निष्पादित प्र०डी०-1/प्र०पी०-6 का विक्रय पत्र दिनांकित 25.09.09 को शून्य घोषित किया है जबकि वादी बहादुर के हिस्से तक ही उसे शून्य घोषित किया जाना चाहिए था क्योंकि अन्य लोगों के द्वारा सहायता नहीं चाही गई थी इसलिये वह भी संशोधन योग्य है।

34. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टांत रंजीतसिंह विरुद्ध अमरसिंह 1983 जे०एल०जे० एस०एन०-67, परमानंद जैन विरुद्ध बाबूलाल बृजेन्द्र कुमार फर्म एवं अन्य 1976 जे०एल०जे० पेज-412, रामकिशन विरुद्ध बिट्ठलराव 1978 जे०एल०जे० पेज-450, लूहर अमृतलाल नागजी विरुद्ध दोषी जयंतीलाल जेठालाल एवं अन्य ए०आई०आर० 1960 सुप्रीमकोर्ट पेज-964, व्यंकटेश डी० देशपाण्डे विरुद्ध कुसुम कुलकर्णी 1978 सुप्रीमकोर्ट पेज-1791, रामदयाल विरुद्ध भंवरलाल ए०आई०आर० 1973 राजस्थान पेज-173 (पूर्ण पीठ), रानी विरुद्ध शांतिबाला ए०आई०आर० 1971 सुप्रीमकोर्ट पेज-1028, रामू विरुद्ध पपीहा ए०आई०आर० 1996 कर्नाटका पेज-51 और बी०बी० नागेश विरुद्ध एच०व्ही० श्रीनिवास मूर्ति 2011(3) एस०सी०सी०डी० 1632 (एस०सी०) के न्याय दृष्टांत पेश किये गये हैं जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मूलतः इस संबंध में ही मार्गदर्शन दिया गया है कि यरिद संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति भी हो तब भी कर्ता खानदान परिवार की निजी और वैध आवश्यकताओं और अवयस्कों के कल्याण के उद्देश्य से भूमि को विक्रय कर सकता है और विशिष्ट भूमि भी विक्रय कर सकता है।

35. उपरोक्त न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त सर्वमान्य हैं और यह न्यायालय में उनका पालन करता है किन्तु न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित किये गये सिद्धान्त विचाराधीन अपील में अपीलार्थी को इस कारण लाभ नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि स्व० लालाराम कर्ता खानदान होने और कर्ता खानदान की हैसियत से उसके द्वारा परिवार के कल्याण के लिये या वैध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भूमि को अपीलार्थी पुरुषोत्तम को विक्रय किया जाना स्थापित नहीं होता है। बल्कि लालाराम का आचरण

ही स्वच्छ नहीं रहा है क्योंकि उसके द्वारा मूल विचारण में जो वादोत्तर पेश किया गया उसमें तो उसने भूमि विक्रय करने की हर संभावना को इन्कारा था। किन्तु वाद लंबन काल में उसके द्वारा अपीलार्थी पुरुषोत्तम को प्र०डी०-1/प्र०पी०-6 के माध्यम से भूमि विचाराधीन वाद के सिद्धान्त के चलते विक्रय करते ही विक्रय के जो कारण उल्लेखित किये उनमें से कोई भी कारण स्थापित नहीं हुआ है। इसलिये यह माने जाने का कोई भी आधार इस न्यायालय के समक्ष नहीं है कि लालाराम ने पुरुषोत्तम को वैध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही भूमि विक्रय की। इस कारण प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों में से किसी भी न्याय दृष्टांत का लाभ अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हो सकता है।

36. इस प्रकार से अपीलार्थी द्वारा अपील में लिये गये आधार और उठाये गये बिन्दुओं में कोई विधिक बल नहीं है। इसलिये अपील तो निरस्ती योग्य है। किन्तु जो वैधानिक स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके मुताबिक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय की कण्डिका-23 (ब) अपास्त किये जाने योग्य तथा कण्डिका-23 (स) संशोधित किये जाने योग्य है। और इसी अनुसार डिक्री में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। फलतः प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील निराकृत करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांकित 23.12.10 में परिवर्तन करते हुए कण्डिका-23 (ब) को निर्णय व डिक्री से अपास्त करते हुए संशोधित डिक्री निम्न आशय की प्रदत्त की जाती है कि :-

1. वादी/प्रत्यर्थी बहादुर को वाद पत्र की कण्डिका-1 में वर्णित संपूर्ण भूमि स्थित मौजा डिरमन पाली तहसील गोहद में 1/6 भाग का भूमिस्वामी आधिपत्यधारी होना और विधिवत राजस्व न्यायालय से बंटवारा करा के भूमि प्राप्त करने का अधिकारी होना घोषित किया जाता है। तथा वादी/प्रत्यर्थी बहादुर के 1/6 भाग की सीमा तक स्व० लालाराम द्वारा पुरुषोत्तम के हक में निष्पादित प्र०डी०-1 का विक्रय पत्र दिनांकित 25.09.09 को शून्य व अपास्त घोषित किया जाता है।
2. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर अथवा तालिका अनुसार जो भी कम हो, वह जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार हो।

दिनांक- 16.12.15

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(शारु)